बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड़ , पटना-800001

visit: www.bsdma.org; e-mail: info@bsdma.org

सुरक्षित छठ पूजा हेतु सलाह (Advisory)

प्रत्येक वर्ष लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा लोगों द्वारा बहुत श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान व्रती पवित्र गंगा सहित अन्य नदियों, तालाबों, नहरों के किनारे डूबते एवं उगते सूर्य को अर्ध्य देने हेतु भारी संख्या में इक्ट्ठा होते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की असावधानी हादसे का कारण बन सकती है। इन हादसों को रोकने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें–

सामान्य नागरिक

क्या करें

- प्रशासन द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन करें।
- निर्धारित मार्गों पर ही चलें और गाड़ियों को निर्धारित स्थलों पर ही पार्क करें।
- महिलाएं/बुजुर्ग अपने पास घर का पता और फोन नम्बर अवश्य रखें।
- यदि आप छोटे बच्चों को छठ पर्व में घाटों पर लेकर जा रहें हैं तो उनकी जेबों में (या गलों में लॉकेट की तरह) घर का पता एवं फोन नं. अवश्य रख दें।
- किसी प्रकार की समस्या होने पर अधिकृत पदाधिकारियों/स्वयं सेवकों से ही संपर्क करें।

क्या न करें

- बैरिकेडिंग को पार न करें। खतरनाक घाटों की ओर या गहरे पानी में न जायें।
- अतिशबाजी न करें।
- किसी भी प्रकार की गंदगी न फैलाएँ।
- अफवाहें न फैलाएँ न उन पर विश्वास करें।
- कोरोना से बचाव हेतु मास्क का उपयोग करें एवं एक स्थान पर ज्यादा लोग एकत्रित न हों।

प्रशासन क्या करें

- खतरनाक घाटों का चिह्निकरण एवं बैरिकेडिंग करें ताकि लोग वहां न जायें।
- घाट जाने के मार्गों तथा घाटों पर सुमुचित प्रकाश की व्यवस्था हों।
- मार्गों का चिह्निकरण–संकेतीकरण किया जाए।
- घाटों पर जानेवाले रास्ते की समुचित साफ–सफाई हो।
- बिजली के जर्जर तारों को बदल दिया जाये एवं अबाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
- घाटों की अच्छी प्रकार से सफाई की जाए।
- घाटों पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाए।
- पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से भीड़ का नियंत्रण एवं अन्य सूचनाओं का प्रसारण किया जाए।
- घाटों पर तैनात सभी प्रशासनिक कर्मियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।
- घाटों पर आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था हेतु त्वरित चिकित्सा प्रतिक्रिया टीम (QMRT) उपलब्ध कराया जाए।
- सभी हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करें।
- आतिशबाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो।
- अग्निशाम की गाड़ियों/दलों की तैनाती पहले से ही संवेदनशील स्थानों पर की जाए।
- पूजा स्थल के निकटतम अस्पतालों में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की व्यवस्था रखें।
- छठ पूजा समितियों के स्वयंसेवकों का छठ पर्व के प्रबंधन में सहयोग लिया जाए।
- घाटों पर गोताखोरों एवं एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ. टीमों की आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति की जाए।
- घाटों एवं संवेदनशील स्थानों पर 'हेल्प लाईन' नम्बर का प्रर्दशन किया जाए।
- यथा संभव जाने एवं आने का रास्ता निर्धारित किया जाए।
- कोविड–19 के वर्तमान परिदृश्य में कोविड अनुकूल व्यवहार का अनुपालन आवश्यक रूप से कराया जाय।

मास्क पहनिए, छठ पूजा में चलिए।

आपात स्थिति में पुलिस की सहायता हेतु–100, अग्निशमन हेतु–101, एम्बुलेंस हेतु–102, एवं आपदा प्रबंधन हेतु–1070 पर संपर्क करें।

संपर्क करें-0612-2294204,206 **राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र, आपदा प्रबंधन विभाग, पटना**